न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /I/2015 टीकमगढ

हरीराम तनय चैंपा बरार,
निवासी वछौंडा, तहसील पृथ्वीपुर,
जिला टीकमगढ म0प्र0
— आवेदक

बनाम

जमना प्रसाद तनय वैजनाथ यादव,
निवासी जलंधर, तहसील पृथ्वीपुर,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0
— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, निवाडी, जिला टीकमगढ म0प्र0 के प्रकरण कमांक 12/अपील/2007–08 हरीराम बनाम जमना प्रसाद आदेश दिनांक 27.03.2015 को पारित।

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यहकि, आराजी कमांक 223/1/2 निगरानीकर्त्ता के कब्जे में गत 40 वर्षों से पेजेशन में होकर उक्त आराजी को मै, मेरा परिवार श्रम पूर्वक खेती कर रहा है, जिससे मैं अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा हूँ, जोकि समय–समय पर निगरानीकर्त्ता ने उक्त नम्बर के अतिकमण होकर व अर्थदण्ड निगरानीकर्त्ता समय –समय पर देता आ रहा है जिसकी कुछ फोटो प्रतियॉ प्रदर्श–पी–1, पी–2, पी–3, पी–4 के रूप में देता आ रहा है। उक्त आराजी को अनावेदक ने तहसील न्यायालय, पृथ्वीपुर के यहॉ उक्त आराजी के सम्बन्ध में तरमीम हेतु कार्यवाही के लिए प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिसका प्रकरण कमांक 67/अ–5/2004–05 आदेश दिनांक 17.08.2005 को तरमीम का,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला टीकमगढ़

प्रकरण क्रमांक निगरानी-813-एक/2015

हंरीराम विरूद्ध जमनाप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 12.3.19 (आर.के. जैन) सदस्य	